तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.10.2019	सरकारी पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने ग्राम मेसिया पटवार मण्डल बुटीवास तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 48 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 48/2 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी दोयम का किस्म परिवर्तन कर आवंटन पूना पुत्र वचना के नाम किए गए आवंटन एवं उससे संबंधित नामान्तरकरण को निरस्त कराकर, उक्त आराजी पुनः गै.मु. नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर भिजवाने हेतु पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर आते है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार ने मूल आवंटी को पक्षकार संयोजित नहीं कर, क्रेतागण को ही पक्षकार संयोजित किया है, जबकि मूल आवंटी को पक्षकार संयोजित करने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, जिनके अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। यह सम्पूर्ण स्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 01 नियम 3 का भी उल्लंघन है। मूल आवंटी एवं समस्त क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किए बिना एवं उनको सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिए बिना प्रकरण में आदेश पारित किया जाना, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे सम्पूर्ण दस्तावेजात का स्वयं अवलोकन कर, तुलनात्मक परीक्षण कर बिन्दुवार प्रार्थना पत्र मूल आवंटी या उनके वारिसान एवं समस्त क्रेतागण को पक्षकार संयोजित करते हुए एक माह के भीतर नये सिरे से रेफरेन्स की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली	